Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में नगर निगम, उत्तर का सहायक अभियंता 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *18 अगस्त, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा शहर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए रामहंस मीणा सहायक अभियंता (निर्माण) नगर निगम, कोटा (उत्तर) को परिवादी से **1 लाख 50 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा करवाये गये कार्यों के बकाया बिल कुल राशि 12 लाख 98 हजार रुपये के भुगतान की एवज में रामहंस मीणा सहायक अभियंता (निर्माण) नगर निगम, कोटा (उत्तर) द्वारा **4 लाख रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याण मल मीणा** के सुपरविजन में एसीबी कोटा शहर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री ताराचंद** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए रामहंस मीणा पुत्र श्री बृजमोहन मीणा निवासी ग्राम पहाड़ी, पुलिस थाना बालघाट, तहसील टोड़ाभीम, जिला करौली हाल सहायक अभियंता (निर्माण) नगर निगम, कोटा (उत्तर) को परिवादी से **1 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याण मल मीणा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।